न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 81/2020 (जी.सी.एम.एस.2020/00164)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. अमर कौर पत्नी आला सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. गुरदयाल सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति बावरी निवासी नई गुजरी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेव सिंह पुत्र आला सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	2. गुरनाम कौर पुत्री बिशन सिंह पत्नी दलीप सिंह जाति बावरी निवासी धनूर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. हरिद्वार पुत्र आला सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	3. प्रीतो पत्नी पाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. रूपाबाई पुत्री आला सिंह पत्नी प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी 281 हैड तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।	4. चन्द कौर पुत्री पाल सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. परमजीत पुत्री आला सिंह पत्नी कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी चक 58 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	5. निहाल कौर पुत्री पाल सिंह पत्नी सुखदेव जाति बावरी निवासी राबुआना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
	6. मुखत्यार कौर पुत्री पाल सिंह पत्नी प्रीतू जाति बावरी निवासी चक 41 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
	7. राज कौर पुत्री पाल सिंह पत्नी गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	8. भागवन्ती पत्नी गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
	9. सुखराम पुत्र गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
	10. राजू पुत्र गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
	11. नरेन्द्र कौर पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	12. गुरप्रीत सिंह पुत्र नानक सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	13. आकाशप्रीत पुत्र नानक सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	14. मनप्रीत कौर पुत्री नानक सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	15. बालूराम पुत्र किशन सिंह जाति बावरी निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
	16. बाईयां पुत्री किशन सिंह पत्नी गुलजार सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	17. सरफो पुत्री किशन सिंह पत्नी जीत सिंह जाति बावरी निवासी चक 45 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
	18. जीतो पुत्री किशन सिंह पत्नी पाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 28 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
	19. गुड्डो पुत्री किशन सिंह पत्नी जीत सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
	20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः– 06.10.2020

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण

––निर्णय–– **दिनांकः 20.05.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 59 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 2/2 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 3, 4 प्रत्येक के 0.164 है0, किला नं0 5 के 0.114 है0, किला नं0 6 ता 20 प्रत्येक के 0.253 है0, किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक के 0. 228 है0 एंव मु0नं0 35/5 के 0.127 है0 गैरमुमकिन खाला खाता का कुल क्षेत्रफल 5.832 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि में वादीया सख्या 1 अमर कौर 0.972 है0 रकबा की व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादी सख्या 2 सुखदेव सिंह 0.485 है0 रकबा के खातेदार दर्ज है। आला सिंह पुत्र बिशन सिंह वादीया सख्या 1 का पति व वादीगण सख्या 2 ता 5 का पिता था जो फौत हो चुका है। आला सिंह उक्त खाता में 0.486 है0 रकबा का खातेदार दर्ज है। आला सिंह की मृत्यु के पश्चात् आला सिंह के नाम दर्ज उक्त 0.486 है0 भूमि मृतक आला सिंह के जायज व कानूनी वारिस होने के नाते वादीगण में न्यायगत हो चुकी है। आला सिंह के नाम दर्ज उक्त 0.486 है0 भूमि को वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, इसलिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए दावा लाया जा रहा है। इस प्रकार से मृतक आला सिंह की भूमि को सम्मलित करते हुए वादीगण कुल 1.943 है0 यानि की 7 बीघा 13-1/2 बिस्वा भूमि के मालिक काबिज है और उक्त भूमि का विधिवत् किलावाईज विभाजन भी करवाना चाहते है। उक्त खाता के सभी सहखातेदारान को दावा में पक्षकार बनाया गया है जो सहखातेदारान फौत हो चुके है उनके वारिसों को दावा में पक्षकार बनाया गया है। उक्त 1.943 है0 अराजी का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। काश्त की सहूलियत के लिये बाहमी बंटवारा में वादीगण को तहसील श्रीकरनपुर के चक 59 एफ बी के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 3 प्रत्येक के 0.164 है0, किला नं0 16 के 0.253 है0, किला नं0 17 के 0.058 है0, किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक के 0.228 है0 कुल 1.943 है0 यानि की 7 बीघा 13-1/2 बिस्वा नहरी रकबा प्राप्त हुआ है, जिसका वादीगण विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। उक्त भूमि पर वादीगण शुरू से ही आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपनी सहूलियत के लिये अपने हिस्सा में आई उक्त अराजी का किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाना चाहते है। मुश्तरका खाता की अराजी के सम्बन्ध में विधि के सुस्थापित प्रावधान है कि मुशर्तका खाता की सम्पत्ति का विभाजन करवाये बिना कोई भी हिस्सेदार किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता और मुशर्तका खाता की अराजी में ऋण आदि लेने में दिक्कतें पेश आती हैं और मुशर्तका खाता की अराजी होने के कारण भविष्य में वारिसान के मध्य झगड़े आदि होने की नौबत बनी रहती है, इसलिये वादीगण ने अपना घरेलू मौखिक बंटवारा कर उसी अनुसार कब्जा काशत किया हुआ है। वादी ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। मृतक आला सिंह के नाम दर्ज 0.486 है0 रकबा हम वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार महोदय श्रीकरनपुर समक्ष मौखिक निवदेन किया गया तो तहसीलदार महोदय श्रीकरनपुर ने श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी गई, इसलिये वादीगण को श्रीमान् जी के न्यायालय में उक्त दावा पेश करना जरूरी हो गया है, यही वाद कारण है। विवादित भूमि तहसील श्रीकरनपुर के चक 59 एफ बी में स्थित है इसलिये दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है, जो पूर्ण कोर्टफीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावेः-कि तहसील श्रीकरनपुर के चक 59 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 2/2 के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 3, 4 प्रत्येक के 0.164 है0, किला नं0 5 के 0.114 है0, किला नं0 6 ता 20 प्रत्येक के 0.253 है0, किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक के 0.228 है0 एंव मु0नं0 35/5 के 0.127 है0 गैरमुमकिन खाला खाता का कुल क्षेत्रफल 5.832 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाल भूमि में से मृतक आला सिंह के नाम दर्ज 0.486 है0 रकबा का वादीगण को मृतक आला सिंह के विधिक वारिस होने के नाते खातेदार घोषित किया जावे व वादीगण के नाम से तहसील श्रीकरनपुर के चक 59 एफ बी के मु0नं0 6 के किला नं0 1, 2, 3 प्रत्येक के 0.164 है0, किला नं0 16 के 0.253 है0, किला नं0 17 के 0.058 है0, किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक के 0.228 है0 कुल 1.943 है0 यानि की 7 बीघा 13-1/2 बिस्वा नहरी रकबा का खाता वादीगण के नाम से अलग से तक्सीम किये जाने के आदेश दिये जावे एवं लगान भूमि भी वादीगण के नाम से अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

कार्यवाही की गई है। इसलिये प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 2/2 के मु.न. 6,35/5 की कुल 5.832 हेक्टैयर भूमि में से वादीया सख्या 1 अमर कौर 0.972 हेक्टैयर भूमि, वादी सख्या 2 सुखदेव सिंह 0.485 हेक्टैयर भूमि, वादीगण के पति/ पिता आला सिंह के नाम 0.486 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के पति/पिता आला सिंह(मृतक) के नाम दर्ज उक्त 0.486 हेक्टैयर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 2/2 के मु.न. 6, 35/5 की कुल 5.832 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अमर कौर पत्नी आला सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर (0.972 हैक्टेयर) सुखदेव सिंह पुत्र आला सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर (0.606 हैक्टेयर) हरिद्वार पुत्र आला सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरनपुर (0.121 हैक्टेयर) रूपाबाई पुत्री आला सिंह पत्नी प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी 281 हैड तहसील घडसाना (0.122 हैक्टेयर) परमजीत पुत्री आला सिंह पत्नी कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी चक 58 एफ तहसील श्रीकरनपुर (0.122 हैक्टेयर)	6 ओ ए	6 35/5	1 2 3/1 16 17/1 21 22 23 24 25	0.164 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.045 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.050 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.17 1.17 0.32 1.80 0.36 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

ाता **एंव रहन बदस्तूर रहेगा।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ त प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा । जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता ्त दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

श्री करणपुर (श्री गंगानगर)